

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 359 सन 2019

अनवान :-

1. सतवीर पुत्र रामप्रताप जाति जाट साकिन गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. रामप्रताप पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सुशीला देवी पुत्री रामप्रताप पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. रमन पुत्री रामप्रताप पत्नी सुभाष चन्द्र जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. अनुसूईया पुत्री रामप्रताप जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

6. प्रमोद पुत्र सतवीर जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
7. राकेश पुत्र सतवीर जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
8. राजबाला पत्नि सतवीर जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर

तरतीबी प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री खिन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
परोकार राज

निर्णय दिनांक :- 30/12/19

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 15 जेएसएन ए के खाता संख्या 102/95 की कुल 1.7710हैक् में से 1/2 हिस्सा खाता संख्या 92/85 की कुल 1.139हैक् व रोही मौजा चक 15 जेएसएन बी के खाता संख्या 111/106 की कुल 2.04985हैक् व रोही मौजा चक 14 जेएसएन के खाता संख्या 144/143 की कुल 3.5180हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा उदाराम पुत्र किशनाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा उदाराम पुत्र किशनाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा उदाराम पुत्र किशनाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 . 6 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2, ता 4 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 6, 7 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 6, 7 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 6, 7 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4, 6 ता 8 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता उदाराम पुत्र किशनाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4, 6 7 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4, जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 6, 7 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 6, 7 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज वही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 15 जेएसएन ए के खाता संख्या 102/95 की कुल 1.7710 हैक में से 1/2 हिस्सा खाता संख्या 92/85 की कुल 1.139 हैक व रोही मौजा चक 15 जेएसएन बी के खाता संख्या 111/106 की कुल 2.04985 हैक व रोही मौजा चक 14 जेएसएन के खाता संख्या 144/143 की कुल 3.5180 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा उदाराम पुत्र किशनाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा उदाराम पुत्र किशनाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा उदाराम पुत्र किशनाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4, 6 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4, 6 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।


हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 15 जेएसएन ए के खाता संख्या 102/95 की कुल 1.7710 हैक में से 1/2 हिस्सा खाता संख्या 92/85 की कुल 1.139 हैक व रोही मौजा चक 15 जेएसएन बी के खाता संख्या 111/106 की कुल 2.04985 हैक व रोही मौजा चक 14 जेएसएन के खाता संख्या 144/143 की कुल 3.5180 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है।

नामान्तकरणो चक 15 जेएसएन ए , 15 जेएसएन बी , 14 जेएसएन के अनुसार वाद भूमि उदाराम पुत्र किशनाराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा उदाराम पुत्र किशनाराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा उदाराम पुत्र किशनाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,6 ,7 बहिब के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या ,2 ता 4 ,6, 7 जो वादी की बहने हैं ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या ,2 ता ,4, स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 6, 7 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 6, 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4, 6 ता 8 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 15 जेएसएन ए के खाता संख्या 92/95 की कुल 1.1390 हैक व रोही मौजा चक 15 जेएसएन बी के खाता संख्या 111/106 की कुल 2.04985 हैक व रोही मौजा चक 14 जेएसएन के खाता संख्या 144/143 की कुल 3.5180 हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के स्थान पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 ,7 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 15 जेएसएन ए के खाता संख्या 102/95 की कुल 1.7710 हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाक्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 30/12/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।


उपसुपुड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. सतवीर पुत्र रामप्रताप जाति जाट साकिन गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. रामप्रताप पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. सुशीला देवी पुत्री रामप्रताप पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. रमन पुत्री रामप्रताप पत्नी सुभाष चन्द्र जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. अनुसूईया पुत्री रामप्रताप जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

6. प्रमोद पुत्र सतवीर जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
7. राकेश पुत्र सतवीर जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर।
8. राजबाला पत्नि सतवीर जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर


तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 221 सन 2019 निर्णय दिनांक- 30/12/19

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 15 जेएसएन ए के खाता संख्या 92/85 की कुल 1.1390 हैक व रोही मौजा चक 15 जेएसएन बी के खाता संख्या 111/106 की कुल 2.04985 हैक व रोही मौजा चक 14 जेएसएन के खाता संख्या 144/143 की कुल 3.5180 हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के स्थान पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6, 7 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 15 जेएसएन ए के खाता संख्या 102/95 की कुल 1.7710 हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/12/19 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)